उ.प्र. सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत

दीया ग्रीनसिटी

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद

UNDER U.P. GOVT.'S AFFORDABLE HOUSING POLICY

DIYA GREENCITY

RAJNAGAR EXTENTION, GHAZIABAD 201001 (U.P.)

1.00 **योजना का नाम**
उ.प्र. सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अर्न्तगत दुर्बल आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम (MIG) व उच्च आय (HIG) वर्गों के लिए 2, 3 व 4 कमरों के बहुमंजिलें आवासीय भवनों का दीया ग्रीनसिटी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में आवंटन हेतु पंजीकरण।

2.0 **योजना का कोड**
दीया ग्रीनसिटी योजना कोड – 846

3.0 **योजना का विवरणः-**

3.10 **स्थान** : उक्त योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।

3.20 **भवनों के प्रकारः** इस योजना में दुर्बल आय वर्ग (ै.), अल्प आय वर्ग (स्प्ळ) एवं मध्यम (डप्ळ) व उच्च आय (भ्प्ळ) वर्गों के लिए 2, 3 व 4 कमरों के बहुमंजिलें उपलब्ध भवनों का आवंटन किया जाना है। भवनों का विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है।

3.30 **भवनों का क्षेत्रफल** : विभिन्न प्रकार के भवनों का क्षेत्रफल पंजीकरण पुस्तिका की तालिका संख्या 1 के कालम सं.–6 में दर्शाया गया है। कब्जे के समय अपरिहार्य कारणों से यह क्षेत्रफल कुछ भिन्न हो सकता है।

3.40 **भवनो की संख्या** : भवनों की संख्या का विवरण पंजीकरण पुस्तिका की तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है। अपरिहार्य कारणों से भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

3.50 **भवनों का अनुमानित मूल्य** : भवनों का अनुमानित मूल्य पंजीकरण पुस्तिका की तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

4.00 पात्रता

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन पत्र जमा करने की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवष्यक है।

4.30 आवेदक या उसके परिवार के पास उ०प्र० सरकार की

1.00 **SCHEME NAME**
Under the Affordable Housing Policy of UP Govt., registration for allotment of EWS, LIG, MIG & HIG of 2/3/4 Rooms Affordable Houses in DIYA GREENCITY Raj Nagar Extn Ghaziabad.

2.0 **SCHEME CODE**
Diya GreenCity Scheme Code: 846.

3.0 **SCHEME DETAILS :-**

3.10 **LOCATION :** The aforesaid scheme is situated in the area of Ghaziabad Development Authority.

3.20 **TYPE OF AFFORDABLE HOUSES :** Different Types of EWS, LIG, MIG & HIG of 2/3/4 Rooms Affordable Houses are available for allotment under this scheme. The details of the affordable houses are given in Table No. 1.

3.30 **AREA OF AFFORDABLE HOUSES :** Area of different types of affordable houses are mentioned in col. 6 of Table No. 1 in application form. This area may differ due to unforeseen reasons at the time of possession.

3.40 **NUMBER OF AFFORDABLE HOUSES :** Details of numbers of affordable houses are given in Table No.1 in application form which may differ due to unforeseen reasons without any prior information.

3.50 **COST OF AFFORDABLE HOUSES :** Cost of affordable houses are mentioned in Table No. 1 in application form.

4.00 **ELIGIBILITY**

4.10 The applicant must be a citizen of India.

4.20 The applicant must be more than 18 years of age on the date of submission of application form.

4.30 The applicant or his/her family must not own more than one

अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं में एक से अधिक भूखण्ड/भवन आवंटित नहीं होना चाहियें।
परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पति/पत्नि तथा अवयस्क बच्चों से है।
विवाहित आवेदक व उसके माता पिता के परिवार को पृथक पृथक परिवार माना जाएगा।
एक वयस्क, अविवाहित तथा आत्मनिर्भर आवेदक अपने एकल नाम से भी आवेदन कर सकता है।

residential plot / house developed under the Affordable Housing schemes of UP Govt.
The family means applicant, his wife /her husband and minor children.
Married applicant and his Parents will be considered as separate families.
An applicant who is adult, unmarried and Self dependent may also apply in his/her name.

4.40 जिन व्यक्तियो ने उ०प्र० सरकार की किसी अन्य अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अर्न्तगत पहले से भी पंजीकरण करवाया हुआ है तथा अभी तक आवंटन नहीं हुआ हैं, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते है जिन्हें इस योजना के आवंटन ड्रा में अन्य आवेदकों के समकक्ष ही माना जायेगा।

4.40 Persons who are already registered under any other affordable housing scheme of UP Govt. but till date have not been allotted a house, may also apply under this scheme. Such applicants will be treated at par with others in the allotment draw for this scheme.

5.00 **आवेदन कैसे करें:-**

आवेदन पत्र/पंजीकरण पुस्तिका दिनांक 15.07.2018 से एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आइसीआइसी बैंक की प्रमुख शाखाओं से रू. 200/– के नगद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि के चैक सहित उपरोक्त बैंकों की शाखाओं में जमा कराया जा सकता है। चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट दीया ग्रीनसिटी, गाजियाबाद के पक्ष में देय होगा तथा जमा करने वाले शहर की बैंक शाखा में भुगतान योग्य होना चाहिए।
इस योजना में ऑनलाईन पंजीकरण www.diyagreencity.com पर भी किया जा सकता है। पंजीकरण राशि का भुगतान नेटबैंकिग अथवा डेबिट/केडिट कार्ड/ के द्वारा किया जा सकता है।

5.00 **HOW TO APPLY**

The Application Form is available in selected branches of State bank of India, HDFC Bank, YES Bank, ICICI Bank, w.e.f. 15.07.2018 on cash payment of 200.00 only. Duly signed application form along with Cheque / Bank Draft of registration amount may be deposited into the selected branches of above mentioned banks. Cheque / Bank Draft must be made in favour of Diya GreenCity Ghaziabad payable at the branches of bank where the forms are to be submitted.
The registration may also be done online on : www.diyagreencity.com. The Registration Amount may be paid online through Net Banking or Debit / Credit Card.

5.10 पंजीकरण राषिः पंजीकरण पुस्तिका की तालिका–1 के कालम संख्या 9 के अनुसार पंजीकरण धनराषि का भुगतान चेक/ऑनलाईन द्वारा जमा कराना होगा। पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य ₹ 200.00 पंजीकरण धनराषि में समायोजित नहीं होगा। पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।

5.10 **REGISTRATION AMOUNT** : The amount as shown in Table No. 1 Column 9 of application form has to be paid by Cheque / Bank Draft / Online. Application Form charge of ` 200.00 is not adjustable in registration amount. Application Form charges are non-refundable.

6.00 **सफल आवंटन**

पंजीकृत आवेदकों को भवनो का आवंटन पारदर्षी ड्रॉ /लॉटरी के द्वारा किया जायेगा।
ड्रॉ /लॉटरी में सफल आवंटन के लिये आवेदकों को बुकिंग धनराषि (भवन के मूल्य का 10 प्रतिषत) बैंक ड्रॉफ्ट/चेक/आर्नलाईन भुगतान माध्यम द्वारा देय होगी। बुकिंग धनराषि (भवन के मूल्य का 10 प्रतिषत) में आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण धनराषि समायोजित कर ली जायेगी। असफल आवेदको की पूर्ण धनराषि चेक/आर्नलाईन भुगतान के माध्यम से वापस की जायेगी।

6.00 **SUCCESSFUL ALLOTMENT**

Registered Applicants of the scheme will be allotted an affordable house in a transparent draw / lottery system. For successful allotment in Draw /Lottery, the applicant have to pay booking amount (10% of the cost of the affordable house). The Registration Amount paid along with application form will be adjusted in Booking Amount (10% of the cost of the affordable house). The Unsuccessful applicants in allotment draw will get full refund of their amount through bank draft / cheque / online.

7.00 **असफल आवेदक**

7.00 **UNSUCCESSFUL APPLICANTS**

7.10 जिन आवेदकों को भवन आवटिंत नहीं हो पाते है उनके द्वारा

7.10 The Unsuccessful applicants in allotment draw will get full

जमा की गई पूर्ण राशि ड्रॉ के पष्चात 2 माह के अंदर बिना ब्याज के चैक/ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से वापस कर दी जाएगी।

8.00 आय कोड

दुर्बल आय वर्ग :ैद्ध के भवनों के आवंटन हेतू आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू.3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। ै भवनो के लिए आय कोड 01 है।

दुर्बल आय वर्ग (स्ळ) के भवनों के आवंटन हेतू आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू.3.00 लाख से रू6.00 लाख के मध्य होनी होनी चाहिये। स्ळ भवनो के लिए आय कोड 02 है।

इस योजना में ड्ळ्म्ळ भवनों के आवेदको के लिए कोई आय सीमा नहीं है। सभी आयवर्ग के आवेदक ड्ळ्म्ळ भवनों के लिए आवेदन कर सकते है जिनका आय कोड 03 है।

आवंटन ड्रा होने के उपरान्त, ैध्स्ळ भवनों के सफल आवंटियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा अन्यथा आवंटन निरस्त हो जाएगा।

8.00 कोटा

8.10 शासनादेशों के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी।

क्र.सं.	श्रेणी	कोड	प्रतिशत
1.	सामान्य आवेदक	01	–
2.	अनुसूचित जाति	02	21%
3.	अनुसूचित जन जाति	03	2%
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
5.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी		
(क)	रक्षा कार्मिक	05	5%
(ख)	सरकारी कार्मिक	06	
6.	(क) स्वतंत्रता सेनानी	08	5%
	(ख)संसद सदस्य/विधायक	09	
7.	(क) उ.प्र. विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10	
	(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	
	(ग) उ.प्र. नगर निगम कर्मचारी	12	
	(घ) उ.प्र. जल संस्थान कर्मचारी	13	
	(ड) उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	
	(च) उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी	15	2%
	(छ) आवास बन्धु उ.प्र. कर्मचारी	16	
8.	भूतपूर्वक सैनिक एवं उनके आश्रित	17	3%
9.	दिव्यांगजन	18	3%

9.20 क्षैतिज आरक्षण

1. दिव्यांगजन आवेदक को शासनादेश सं. 786/9–1–08–25 विविध/07 दिनांक 30.01.2008 एवं 3645/8–1–2011–25 विविध/07 दिनांक 19.12.2011 के अनुसार कुल घोषित

refund of their amount within two months from the date of draw without any interest.

8.00 INCOME CODE

For EWS houses, the gross annual family income of applicants should not be more than 3.00 lac from all sources. For EWS houses income Code is 01.

For LIG houses, the gross annual family income of applicants should be from 3.00 lac to 6.00 lac from all sources. For LIG houses income Code is 02.

For MIG, HIG of 2/3/4 rooms applicants of all income group may apply and their income code is 03.

After allotment draw, the successful allotees of EWS & LIG houses have to provide their latest annual income certificate issued by the competent Authority failing which their allotment will be canceled.

9.00 QUOTA

9.10 As per Govt order reservation facility will be given in following way

S.No	Quota Description	Code	Percentage
1.	General Category	01	
2.	Scheduled Caste	02	21%
3	Schedule tribe	03	2%
4.	Other Backward Class	04	27%
5	Defence Persons, Govt. Employees		
(a)	Defense persons	05	5%
(b)	Persons in Govt. Service	06	
6.	(a) Freedom Fighters	08	5%
	(b) MP/MLA/MLC	09	
7.	(a) Employee of Development boards	10	
	(b) Employee of City Board	11	
	(c) Employee of Nagar Nigam	12	
	(d) Employee Jal Sansthan	13	
	(e) Employee of U.P. Housing Board	14	
	(f) Employee of U.P. Govt.	15	2%
	(g) Employee of Awas Bandhu UP	16	
8.	Ex-Serviceman and their dependents	17	3%
9.	Handicapped	18	3%

9.20 Horizontal Reservation

1. As per GO No. 786/9-1-08-25 Vide / 07 dated 30.01.2008 and GO No. 3645/8-1/-2011-25 Vide/ 07 dated 19.12.2011 handicapped applicant will be given 3% horizontal

भवनों की संख्या का 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। आवंटन ड्रा/लाटरी में सफल होने वाले दिव्यांगजन आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी विषेष तल अथवा भवन हेतु मांग पर विचार किया जाना संभव नही होगा।

reservation of total declared flats. The successful applicants in allotment draw will provide a certificate issued by competent authority regarding their disability. However request for specific floor or unit number will not be possible to entertain.

2. वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिक का अभिप्राय है कि योजना प्रारंभ होने की तिथि को आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
आवेदन पत्र में वरिष्ठ नागरिक होने का स्पश्ट उल्लेख करना होगा।
आवंटन ड्रा/लाटरी में सफल होने वाले वरिष्ठ नागरिक आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
किसी भी आवेदक द्वारा किसी विषेष तल अथवा भवन हेतु मांग पर विचार किया जाना संभव नही होगा।

2. Senior citizens will also get 10% horizontal reservation of total declared flats.
Senior citizen means that the applicant has attained the age of 60 years on the date of application.
The applicants will mention in the application form about their status of senior citizenship.
The successful applicants in allotment draw will provide a certificate issued by competent authority regarding their age. However request for specific floor or unit number will not be possible to entertain.

3 आवंटन ड्रा में सफल आवंटियों को तत्पश्चात आरक्षण श्रेणी अथवा दिव्यांजन अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र अथवा अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

3. Applicants availing reservation in any category will summit required certificate/documents issued by competent authority after the allotment draw. In case Successful allotees fails to provide required certificate / documents the allotment may be cancelled.

10.00 सामान्य आवेदक

भवनों का आवंटन लाटरी / ड्रॉ की निधारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की संख्या उनके लिए आरक्षित भवनो से कम रहती है, तो रिक्त आरक्षित भवन सामान्य आवेदको को आबंटित किए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र की मद संख्या 14 के अंतर्गत कोड 01 भरे ।

10.00 GENERAL APPLICANTS

Affordable houses shall be allotted as per procedure of allotment draw/lottery. In case the applications for reserved category are lesser than their reserved houses as per the QUOTA percentages, the same would be allotted to general applicants. Applicants applying under general category should fill 01 as QUOTA CODE in the applications against item No. 14 of the application form.

11.00 ड्रॉ प्रकिया

योजना में भवनो का आवंटन इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी आवंटन ड्रा/लॉटरी द्वारा किया जायेगा। आवंटन ड्रा / लॉटरी किये जाने की तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदकों को समाचार पत्रों/ ईमेल/एसएमएस/दीयाग्रीनसिटी की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विषेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नही होगा।

11.00 DRAW PROCEDURE

The allotment of affordable houses in the scheme will be made by a transparent allotment draw/lottery in the presence of the applicants, who wish to be present. Information regarding the date & place of draw /lottery will be given by advt. in Newspaper/Email/SMS/Website of DiyagreenCity. Request for specific floor/ house by an applicant shall not be entertained.

12.00 किश्तें

12.10 भवन के मूल्य का 10 प्रतिशत बुकिंग धनराषि जमा कराने के उपरान्त षेष 90 प्रतिषत भवन का मूल्य प्रत्येक दो माह के अन्तराल में नौ(09) किश्तों में बिना किसी ब्याज के 18 महीनों में देय होगा।

12.20 आवेदक अपनी आवश्यक्ता एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर

12.00 INSTALLMENTS

12.10 After the payment of booking amount (10% of the cost of the affordable house) the balance 90% amount will be paid in 18 months through Nine (09) Bi-Monthly Interest Free Installments.

12.20 Based on the requirement and financial eligibility, banks may

निर्माण आधारित भुगतान विकल्प (कंस्ट्रक्षन लिंक प्लान) में बैंक द्वारा ऋण सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। आवेदक की ग्राहयता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने पर बै स्कीम में रू. 2.67 लाख तक की सबसिडी का लाभ आवंटी बैंक से सीधे प्राप्त कर सकता है। आवंटीयों द्वारा किश्तों के भुगतान हेतु लिए गये बैंक ऋण पर देय ब्याज का भुगतान आंवटी को स्वंय करना होगा।

provide housing loan facilities under construction linked payment plan (CLP) to the allotee. The first time urban home buyer may also avail benefits of the Subsidy of upto Rs. 2.67 Lakhs under CLSS Scheme in Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) directly from the bank providing housing loan facility to him. However the payment of the interest to the bank will be paid by the allotee.

12.30 दीया ग्रीनसिटी परियोजना निम्न बैंको एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा आवंटियों को हाउसिंग लोन देने हेतु स्वीकृत एवं अनुमोदित है–
स्टेट बैंक आफँ इंडिया, पंजाब नेषनल बैंक, इलाहबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ, यैस बैंक, एक्सिस बैंक, डीएचएफएल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि.

12-30 Diya Greencity project is duly approved by the following banks for providing housing loans to successful allotees :

स्टेट बैंक आफँ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ, यैस बैंक, एक्सिस बैंक, डीएचएफएल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि.

12.40 एकमुश्त भुगतान पर छूट

आवंटन पत्र की तिथि से 60 दिनों के अंदर भवन के मूल्य का बकाया 90 प्रतिषत धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भवन के पूर्ण मूल्य में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आवंटन पत्र की तिथि के 60 दिन के पश्चात भुगतान करने पर एकमुश्त छूट की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

12.40 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

Discount of 5% on full cost of affordable house will be provided if the balance 90% payment is made within 60 days from the date of allotment letter. This discount facility on one time payment will not be applicable in case of late payment after 60 days from the date of allotment letter.

12.50 पैनल ब्याज

यदि देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो विलम्ब की गयी धनराशि पर 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज सहित देय राषि का भुगतान करना होगा। ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी।

12.50 PENAL INTEREST

If the payable / due amount is not paid within time, penal interest @15% per annum shall be paid along with the payable amount. Penal interest will be calculated on daily basis.

13.00 समर्पण/निरस्तीकरण

13.10 यदि कोई आवेदक पंजीकरण धनराषि जमा करने के 30 दिनो के अन्दर अपना आवेदन रद्द करता है/वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती कर षेष बकाया धनराषि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। आवेदन समर्पण करने का प्रार्थनापत्र समस्त असल भुगतान प्रपत्र, मूल रसीदे सहित परियोजना स्थल पर जमा कराना होगा।

13.20 धनराषि आवेदको के बैंक खातो में चैक/ ऑनलाईन भुगतान के माध्यम द्वारा वापिस कर दी जायेगी।

13.30 भुगतान विवरण के अनुसार लगातार तीन किष्तें/बुकिग धनराषि जमा न कराने की दशा मे भवन का आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को भी परियोजना में से अपना आंवटन सर्मपण करने या वापिस लेने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार के निरस्तीकरण/ सर्मपण की दषा में बुकिंग धनराशि जब्त कर ली जायेगी और षेष बकाया धनराशि यदि

13.00 SURRENDER / CANCELLATION

13.10 If an applicant wish to withdraws / cancels his application for allotment within one month from the date of payment of registration amount, then 20% of amount paid by him/her shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest. An application along with original payment receipts, ID Proof of applicant will have to be submitted at project site for cancellation.

13.20 The amount shall be refunded in the applicants' bank accounts through Draft/Cheque or Online.

13.30 According to the payment schedule, on default in payment of three consecutive installments / booking amount, the allotment of the affordable house may be canceled without notice. The Allottee also have the right to surrender his allotment. In any case of cancellation /surrender, booking amount shall be forfeited and the balance remaining

हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

13.40 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपानाः यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई है अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

13.50 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो रू. 800/– प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा। 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं धारा 6.30 के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को चल रहे प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क में 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी।

14.00 **कब्जा**

14.10 इस योजना में भवन का कब्जा भवन निर्माण एवं विकासकार्य पूर्ण होने की पश्चात एवं आवंटी द्वारा कुल भवन मूल्य/अन्य शुल्क, जमा करने तथा विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। विक्रय विलेख का व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

14.20 परियोजना REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 के प्राविधानों के अनुसार ;त्म्त्।द्ध में पंजीकृत है । जिसकी पंजीकरण संख्या .... है।

14.30 आवंटी को समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उप–नियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।

14.40 आवंटी विद्युत /पानी /गैस कनैक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।

15.00 **विक्रय विलेख**

आवंटी को भवन का समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त, कब्जा पत्र की तिथि से 3 महीने के अंदर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर, अपने खर्चे पर भवन का विक्रय विलेख पंजीकृत कराना होगा। आवंटी उ.प्र. शासन की नीति के अनुसार रजिस्ट्री शुल्क में उपलब्ध छूट प्राप्त कर सकता है।

16.00 **भवनों का प्रयोग**

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

17.00 **अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं**

17.10 इस योजना में भवनों के आवंटन से पूर्व किसी भी नियम और षर्तों में संशोधन किया जा सकता है तथा ऐसे संशोधन आवेदकों को मान्य होंगे।

17.20 किसी विवाद की दशा में आवास बन्धु आवास व शहरी नियोजन विभाग, लखनउ द्वारा स्वीकृत डीपीआर के आधार पर गाजियाबाद न्यायालय का निर्णय मान्य होगा।

17.30 आवेदन पत्र/विवरण पुस्तिका के किसी भी नियम में भ्रम की दशा में का अंग्रेजी में लिखा गया विवरण मान्य होगा।

amount shall be refunded without any interest.

13.40 Fake Representation of Suppression of Facts: If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment may be cancelled.

13.50 If the allottee does not take the possession of the flat on due date, watchman charge @ Rs. 800/- per month shall be charged and will be increased automatically by 10% every year from 1st April. In case the possession is not taken within three months from the offered date, allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clause 6.30 and balance amount would be refunded without any interest.

14.00 **POSSESSION**

14.10 Possession of affordable house in this scheme shall be handed over after completion of construction, development work and payment of total amount /other charges and registration of sale deed by allottee. The cost of sale deed shall be borne by the allottee

14.20 The project is duly registered under the provisions of REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 am having RERA Reg. No. ------------------.

14.30 Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Central Government / U.P. Govt. or any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession.

14.40 Allottee will take the electricity/water/Gas connection from concerned department at his/her own cost.

15.00 **SALE DEED**

After making full payment , Allotte within three months from the date of possession letter has to complete all formalities and get the sale deed executed and registered in his name. As per the policy of UP Govt., the allotte may get rebate in registry charges.

16.00 **USE OF AFORDABLE HOUSES**

The affordable houses shall be used for residential purpose only by the allottee.

17.00 **OTHER IMPORTANT NOTICES**

17.10 Before allotment of houses, any terms and conditions of the scheme may be revised and the same shall be applicable on the applicants.

17.20 In case of any disputes, based on DPR approved by Awas Bandhu Lucknow, Ghaziabad courts shall have jurisdiction.

17.30 In case of any confusion regarding terms of the prospectus / application form, the English version of the contents will be treated as authenticated.

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग निति के अंतर्गत
UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY OF U.P. GOVT.

फार्म संख्या / Form No.

दीया ग्रीनसिटी
DIYA GREENCITY

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद
RAJNAGAR EXTENTION, GHAZIABAD

आवेदक का फोटो
Photograph of Applicant

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए आवेदन प्रपत्र APPLICATION FORM FOR AFFORDABLE HOUSING SCHEME
(साफ अक्षरों में भरे TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS)

1- योजना का नाम / Name of Scheme : दीया ग्रीनसिटी / DIYA GREENCITY

2- सम्पत्ति श्रेणी / Property Category

टाईप EWS ☐ टाईप LIG ☐
Type EWS ☐ Type LIG ☐

2 कमरों का घर : टाईप 2A ☐ टाईप 2B ☐ टाईप 2C ☐
2 Room Set : Type 2A ☐ Type 2B ☐ Type 2C ☐

3 कमरों का घर : टाईप 3A ☐ टाईप 3B ☐
3 Room Set : Type 3A ☐ Type 3B ☐

3 कमरों का घर + स्टडी रूम : टाईप 3BS ☐
3 Room Set + Study Room : Type 3BS ☐

3- आवेदक का नाम / Name of the Applicant

4- आवेदक के पिता / पति का नाम / Name of Applicant's Father/Husband

5- पत्र व्यवहार का पता / Address of correspondence

पिन कोड / Pin Code

6- आधार कार्ड नं / Adhar Card No.-

7- पैन नं / PAN No. जन्म तिथि / Date of Birth :

8- मोबाइल नम्बर / Mobile No. ई-मेल / E-mail

9- लिंग / Gender ☐ 10- वैवाहिक स्तर / Marital Status ☐ 11- व्यवसाय कोड / Occupation Code ☐

12- कोटा कोड / Quota Code ☐ 13- विकलांग (हां / नहीं) / Handicapped (Y/N) ☐ 14- वृद्धजन (हां / नहीं) / Senior Citizen (Y/N) ☐

15- आय कोड / Income Code
(01) EWS भवनों हेतु वार्षिक आय ₹3 लाख से कम / For EWS Houses, Annual Income less than ₹3 lacs ☐
(02) LIG भवनों हेतु वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख / For LIG Houses, Annual Income between ₹3 lacs to ₹6 lacs ☐
(03) MIG / HIG भवनों हेतु सभी आय वर्ग / For MIG/HIG Houses, All Income Groups ☐

16- भुगतान पद्धति / Payment Plan
(a) 5% छूट सहित एकमुश्त भुगतान / 5 % Discount on Down Payment Plan ☐
(b) कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान / Construction Link Plan ☐
(c) ब्याज मुक्त डिग्बाटी नौ (9) किश्तें / Interest Free Nine (9) Installments Every Two Months ☐

17- वापसी राशि हेतु आवेदक के बैंक खाता का विवरण / Applicant's Bank Account Details for Refund

बैंक खाता नं. / Bank A/c No.
खाताधारक का नाम / Account Holder Name
आईएफएससी कोड / IFSC Code

18- यदि आवेदक को उ.प्र. सरकार की किसी अन्य अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में कोई भवन आवंटित है, तो योजना का नाम व सम्पत्ति का पता अंकित करें (योजना का नाम ________ / सम्पत्ति संख्या / Unit No. ________)

[illegible]

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग निति के अंतर्गत
UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY OF U.P. GOVT.

दीया ग्रीनसिटी
DIYA GREENCITY

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद
RAJNAGAR EXTENTION, GHAZIABAD

फार्म संख्या / Form No.

ACCOUNT'S COPY

योजना का नाम : दीया ग्रीनसिटी
Name of Yojna : DIYA GREENCITY

सम्पत्ति श्रेणी (टाईप)
Property Category (Type) ________

भुगतान पद्धति / Payment Plan
(a) 5% छूट सहित एकमुश्त भुगतान / Down Payment Plan with 5 % Discount ☐
(b) कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान / Construction Link Plan ☐
(c) प्रत्येक 2 माह में 9 किश्तें / 9 Installments Every 2 Months ☐

नाम (श्री / सुश्री / श्रीमती)
Name (Mr./Ms./Mrs.) ________

पिता / पति का नाम श्री
Father's/Husband's Name Mr. ________

मोबाइल नम्बर / Mobile No.

जमा की गई धनराशि
Amt. Deposited : Rs.

दिनांक
Date:

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

नोट- चैक / ड्राफ्ट "दीया ग्रीनसिटी गाजियाबाद A/c No: 50200020919850" के पक्ष में देय होगा। कृपया चैक के पीछे अपना फोन नंबर व पंजीकरण फार्म संख्या अवश्य लिखें।

NOTE:- Cheque / Draft must be in favour of "Diya GreenCity Ghaziabad A/c No: 50200020919850". Please write your Phone Number and Registration Form behind your cheque.

Received a sum of Rs. ________

vide DD/Cheque No. ________ Dated ________

Drawn on ________

Date of Receipt
DD MM YY

Seal & Signature of the Bank

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग निति के अंतर्गत
UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY OF U.P. GOVT.

दीया ग्रीनसिटी
DIYA GREENCITY

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद
RAJNAGAR EXTENTION, GHAZIABAD

फार्म संख्या / Form No.

BANK'S COPY

योजना का नाम : दीया ग्रीनसिटी
Name of Yojna : DIYA GREENCITY

सम्पत्ति श्रेणी (टाईप)
Property Category (Type) ________

भुगतान पद्धति / Payment Plan
(a) 5% छूट सहित एकमुश्त भुगतान / Down Payment Plan with 5 % Discount ☐
(b) कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान / Construction Link Plan ☐
(c) प्रत्येक 2 माह में 9 किश्तें / 9 Installments Every 2 Months ☐

नाम (श्री / सुश्री / श्रीमती)
Name (Mr./Ms./Mrs.) ________

पिता / पति का नाम श्री
Father's/Husband's Name Mr. ________

मोबाइल नम्बर / Mobile No.

जमा की गई धनराशि
Amt. Deposited : Rs.

दिनांक
Date:

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

नोट- चैक / ड्राफ्ट "दीया ग्रीनसिटी गाजियाबाद A/c No: 50200020919850" के पक्ष में देय होगा। कृपया चैक के पीछे अपना फोन नंबर व पंजीकरण फार्म संख्या अवश्य लिखें।

NOTE:- Cheque / Draft must be in favour of "Diya GreenCity Ghaziabad A/c No: 50200020919850". Please write your Phone Number and Registration Form behind your cheque.

Received a sum of Rs. ________

vide DD/Cheque No. ________ Dated ________

Drawn on ________

Date of Receipt
DD MM YY

Seal & Signature of the Bank

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग निति के अंतर्गत
UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY OF U.P. GOVT.

दीया ग्रीनसिटी
DIYA GREENCITY

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद
RAJNAGAR EXTENTION, GHAZIABAD

फार्म संख्या / Form No.

APPLICANT'S COPY

योजना का नाम : दीया ग्रीनसिटी
Name of Yojna : DIYA GREENCITY

सम्पत्ति श्रेणी (टाईप)
Property Category (Type) ________

भुगतान पद्धति / Payment Plan
(a) 5% छूट सहित एकमुश्त भुगतान / Down Payment Plan with 5 % Discount ☐
(b) कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान / Construction Link Plan ☐
(c) प्रत्येक 2 माह में 9 किश्तें / 9 Installments Every 2 Months ☐

नाम (श्री / सुश्री / श्रीमती)
Name (Mr./Ms./Mrs.) ________

पिता / पति का नाम श्री
Father's/Husband's Name Mr. ________

मोबाइल नम्बर / Mobile No.

जमा की गई धनराशि
Amt. Deposited : Rs.

दिनांक
Date:

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

नोट- चैक / ड्राफ्ट "दीया ग्रीनसिटी गाजियाबाद A/c No: 50200020919850" के पक्ष में देय होगा। कृपया चैक के पीछे अपना फोन नंबर व पंजीकरण फार्म संख्या अवश्य लिखें।

NOTE:- Cheque / Draft must be in favour of "Diya GreenCity Ghaziabad A/c No: 50200020919850". Please write your Phone Number and Registration Form behind your cheque.

Received a sum of Rs. ________

vide DD/Cheque No. ________ Dated ________

Drawn on ________

Date of Receipt
DD MM YY

Seal & Signature of the Bank

1. मै/हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैने/हमनें उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मै/हम उनका पालन करूंगा/करेंगें।

2. यदि मै/हम बिक्री के लिए भवन का आवंटन स्वीकार नही करता हूँ/करते है तब मै/हम आवेदन पत्र के नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूंगा/करेंगें।

3. ड्रा में आवंटित किया गया भवन मुझे / हमें स्वीकार होगा। मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति / विवाद नहीं होगी।

4. मै सहमत हूं कि किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद न्यायालय का होगा।

1- I/We declare that I/We have read the rules regarding the above scheme and shall abide by them.

2- If/I / We do not accept the allotment of the flat for sale, then I/We shall accepted the forfeiture/deductions, mentioned in the application form.

3- The flat allotted to me shall be acceptable to me/us under any circumstances on as is where is basis and I/We shall have not objection or dispute of any kind.

4- I/We agree that in case of dispute, Ghaziabad Court will have exclusive jurisdiction.

आवेदक का नाम/Applicant's Name ____________________

Date

Place

आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of the applicant

श्रीमान बैंक प्रबधक महोदय,

कृपया उपरोक्त पंजीकरण फार्म परियोजना स्थल (दीया ग्रीनसिटी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद) पर भिजवाने की व्यवस्था करा दें।

परियोजना निदेशक
दीया ग्रीनसिटी,
राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद

For Office Use Only

RESERVATION

Applicant successful in draw held on ____________________

Signature of the incharge

One Affordable House Reserved [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ALLOTMENT

Applicant has been allotted Unit no. ____________________

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

नोट : 1. कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें, चूंकि ये फार्म कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस किये जायेगें। यदि आपने फार्म हिन्दी में भरा हो तो उसका अनुवाद करते समय हुई भूल के लिए दीया ग्रीनसिटी, गाजियाबाद जिम्मेदार नही होगा।
कृपया चालान फार्म में ड्राफ्ट नं० तथा बैंक का पूरा नाम अवश्य भरें।
आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों को चिपकाने का कष्ट करें। इससे आपके संलग्नक फार्म से अलग नहीं होंगे।